इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जनवरी 2022—पौष 17, शक 1943

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्र. एफ-01(ए)02-2021-ए-16.—मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) की धारा 33-क (दो) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल एतद्द्वारा राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

विनियम (भाग–एक)

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**–1. यह विनियम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) (मण्डल कर्मचारियों की भरती) विनियम, 2021 कहलायेगें।

2. अन्यथा उपवन्धित स्थिति को छोडकर ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायेः**–इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (कं. 36 सन् 1983)

(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, अनुसूची–चार के कालम (5) में गठित समिति"

(ग) "शासन या राज्य सरकार" से अभिप्रेत "मध्यप्रदेश शासन"

(घ) मंडल से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल,

(ड.) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4(3)(क) के अधीन शासन द्वारा नियुक्त मण्डल का अध्यक्ष (Chairperson) से है.,

(च) "कल्याण आयुक्त" से अभिप्रेत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 15 (1) में वर्णित कल्याण आयुक्त।

(च) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।

(छ) अनुसूची से अभिप्रेत है इन विनियमों में संलग्न अनुसूची।

3. **सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान आदिः**–

(1) सेवा का वर्गीकरण, संख्या तथा वेतनमान अनुसूची–एक में किये गये उपबंध के अनुसार होगें।

(2) सेवा के सदस्यों को समयमान वेतनमान की पात्रता शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप होगी।

मण्डल कर्मियों को वेतनमान.–राज्य सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को समय–समय पर अनुज्ञेय वेतनमान एवं भत्ते, समान पद श्रेणी के सेवा के सदस्यों को संचालक मण्डल के अनुमोदन से लागू होगा.

4. **भरती का तरीकाः**–(1) धारा–17 के अन्तर्गत नियुक्ती निम्नलिखित पद्धति से की जावेगी, अर्थात्–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार अथवा दोनों तरीकों से सीधी भरती द्वारा.,

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा.,

(ग) धारा 18 के अधीन राज्य शासन के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) उप विनियम (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या, वर्गीकरण आदि अनुसूची–दो में उल्लेखित है, जिसका पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं सीधी भरती, पदोन्नति का प्रतिशत निम्नानुसार होगा :–

(क) द्वितीय श्रेणी–

(1) सहायक कल्याण आयुक्त–4 पद एवं लेखाधिकारी–1 पद का पद है जो, द्वितीय श्रेणी का होगा। सहायक कल्याण आयुक्त पदों में 25 प्रतिशत सीधी भरती से एवं 75 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जायेगें। जबकि लेखाधिकारी का पद शासन द्वारा (वित्त विभाग) से प्रतिनियुक्ति से भरा जावेगा।

(ख) तृतीय श्रेणी–

(1) जनसम्पर्क अधिकारी, कल्याण अधिकारी, अभिदाय वसूली अधिकारी के प्रत्येक एक–एक पद तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) हैं, जो 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जावेगा। गैर कार्यपालिक पद जिसमें कार्यालय अधीक्षक, सहायक लेखाधिकारी का एक–एक पद तृतीय श्रेणी वर्ग का भी 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरा जावेगा।

(2) कल्याण पर्यवेक्षक–4 पद तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) जो 40 प्रतिशत सीधी से एवं 60 पदोन्नति से भरे जावेगें। इसी प्रकार कल्याण निरीक्षक–7 पद तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) जो 45 प्रतिशत सीधी से एवं 55 पदोन्नति से भरे जावेगें।

(3) मुख्य लिपिक–1, शीघ्रलेखक–2 एवं निज सचिव–1 पद तृतीय श्रेणी जो 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जावेगें।

(4) लेखापाल–2 पद तृतीय श्रेणी का है, जो 50 प्रतिशत सीधी भरती से एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति से तथा उच्च श्रेणी लिपिक–3 पद तृतीय श्रेणी, जो 100 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जावेगें।

(5) निज सहायक–1 पद तृतीय श्रेणी का है, जो 100 प्रतिशत सीधी भरती से तथा कनिष्ठ श्रेणी लिपिक–4 पद तृतीय श्रेणी के हैं, जो 80 प्रतिशत सीधी भरती से एवं 20 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जावेगें।

(6) वाहन चालक–2 पद तृतीय श्रेणी जो 100 प्रतिशत सीधी भरती से भरे जावेगें।

(ग) चतुर्थ श्रेणी–

(1) भृत्य/चौकीदार–19 पद चतुर्थ श्रेणी, जो 100 प्रतिशत सीधी भरती से भरे जावेगें।

परन्तु मण्डल के दैनिक वेतन भोगी/स्थायी कर्मी कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के परिपालन में चतुर्थ श्रेणी पद पर नियमित किया जा सकेगा।

(घ) **आरक्षण रोस्टरः**– सीधी भरती एवं पदोन्नति में 100 बिन्दु रोस्टर उसी प्रकार मण्डल कर्मचारियों पर लागू होगा, जैसाकि राज्य शासन समय–समय पर अपने कर्मचारियों को तय करे।

(3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किन्हीं विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिनका/जिसका कि भरती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरी जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति या पद्धतियां तथा प्रत्येक पद्धति द्वारा भरती किये जाने वाले रिक्तियों की संख्या, कल्याण आयुक्त द्वारा प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जावेगी।

(4) उप–विनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी यदि कल्याण आयुक्त की राय में, सेवाओं की आवश्यकता से ऐसा अपेक्षित हो तो कल्याण आयुक्त मण्डल तथा राज्य सरकार के अनुमोदन से सेवा में भरती के लिये उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट पद्धतियों से भिन्न पद्धति अपनायेगा जिसे वह वह इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

परन्तु सभी प्रकार की सीधी भरती म.प्र. लोक सेवा आयोग, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड या शासकीय संस्था के माध्यम से ही की जायेगी।

5. **सेवा में नियुक्ति**– इन विनियमों के प्रभावशील होने के पश्चात अधिनियम की धारा 17 के अधीन सेवा की समस्त नियुक्तियां मण्डल के अनुमोदन से कल्याण आयुक्त द्वारा की जायेगी तथा ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विनियमों में विनिर्दिष्ट भरती की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी।

परन्तु किसी भी बात के होते हुये भी जो कर्मचारी नियमित पद के विरूद्ध उस पद के नियमित वेतनमान को प्राप्त कर रहे है, वह पदोन्नति/समयमान वेतनमान सहित अन्य सभी लाभों के लिये पात्र होगें।

6. **सीधी भरती से चयन की पात्रता की शर्ते**–

चयनित होने की पात्रता के अनुक्रम में किसी भी अभ्यार्थी को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करना होगी :–

(एक) उम्मीद्वार ने चयन प्रारंभ होने की तारीख से आगामी एक जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा 30 वर्ष से अधिक न हो।

(दो) उच्चतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट दी जायेगी–

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीद्वार के मामले में 35 वर्ष तक।

(2) महिला अभ्यर्थी के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार दस वर्ष तक।

(3) यदि मण्डल की सेवा में पद धारण करने वाला उम्मीद्वार चयन द्वारा सीधी भरती के जरिये भरने वाले दूसरे पद के लिये आवेदन करता है, तो उसे उसकी आयु में से उसके द्वारा की गई कुल सेवा की 7 वर्ष तक की कालावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी तथापित परिणामिक आयु उच्चतम आयु सीमा से पॉच वर्ष से अधिक न हो।

(4) यह छूट कार्यभारित कर्मचारियों, वर्क चार्जड कर्मचारियों को प्राप्त नहीं होगी।

(5) छंटनी किये गये शासकीय कर्मचारी की दशा में, उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते परिणामिक आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः–

पद छंटनी किया गया शासकीय सेवक का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भरती नियम 1974 में उसके लिये निर्धारित किया गया है ।

(6) भूतपूर्व सैनिक के मामले में उनके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि को उसकी आयु से कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परंतु पारिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः–

पद 'भूतपूर्व सैनिक' ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो मध्यप्रदेश श्रम सेवा (राजपत्रित) भरती नियम 1974 के नियम 8 में उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का रहा हो, तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की तारीख से या कोई की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख में अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) किया गया हो।

(7) उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनूसची–तीन में विभिन्न पदों के लिये अधिकथित की गई हो।

परन्तु आपवादिक मामलों तथा सेवा की आवश्यकताओं के मामले में अध्यक्ष, कल्याण आयुक्त की सिफारिश पर ऐसे अभ्याथी की अर्हता मान सकेगा जो यद्यपि अनुसूची–तीन में विनिर्दिष्ट की गई अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता या किन्तु उसने किन्ही अन्य संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो अध्यक्ष की राय में चयन के लिये अभ्यार्थी के प्रवेश को न्यायोचित मानता हो।

(8) उसे, मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

7. कल्याण आयुक्त के विनिश्चय की अन्तिमता–विनियम 6 के खण्ड (7) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए किसी अभ्यर्थी के चयन के लिये पात्रता या अपात्रता के संबंध में कल्याण आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा तथा किसी ऐसे अभ्यार्थी को, जिसे कल्याण आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जारी नहीं गया गया है, साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

8. अनर्हताः–(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी प्रकार का समर्थन अभिप्राप्त कराने का प्रयास उसके चयन के लिये कल्याण आयुक्त द्वारा अनर्ह ठहराया जा सकेगा।

(2) ऐसा अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉं/पति हो या ऐसा अभ्यर्थी जिसने ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पहले से जीवित पति/पत्नि हो, सेवा में के किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि कल्याण आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिये पर्याप्त कारण है, तो ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस उपनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(3) किसी अभ्यर्थी को सेवा के किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा.–

(क) यदि उसे किसी प्राधिकारी, सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो.,

(ख) यदि उसे ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अक्षमता अन्तर्वलित हो.

(4) किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षण जो विहित की जाए, मानसिंक और शारीरिक रूप से, स्वस्थ और सेवा और पद के कर्त्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए.

(5) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होग., परन्तु जहॉ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

(6) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यनूतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(7) कोई भी उम्मीदार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

9. अर्ह अभ्यार्थियों की सूची :–(1) जहॉ भरती चयन द्वारा की जाना हो, वहॉ कल्याण आयुक्त ऐसे अभ्यार्थियों की जिन्हें वह यथा स्थिति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार अथवा केवल साक्षात्कार के आधार पर अत्याधिक उपयुक्त समझता हो और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यार्थियों की जो यद्यपि निर्धारित मानक के अनुसार सही नहीं है, किन्तु जिन्हें मण्डल प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिए सेवा में नियुक्ति के लिए कल्याण आयुक्त उपयुक्त घोषित किया हो, सूची तैयार करेगा तथा अधिमान कम में रखेगा।

(2) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किया जाना उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि कल्याण आयुक्त का ऐसी जॉच करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे यह समाधान हो जाए कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

10. चयन :–(1) मण्डल की सेवा में चयन हेतु सीधी भरती ऐसे अन्तरालों में की जाएगी जैसा कि कल्याण आयुक्त, मण्डल के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करें।
(2) उप विनियम के खण्ड (1) के अधीन चयन के प्रयोजनों के लिये विनिर्दिष्ट अर्हताऐं रखने वाले व्यक्तियों के नाम खुली प्रतियोगिता द्वारा लिये जावेगें।
(3) सेवा में अभ्यार्थियों का चयन कल्याण आयुक्त या किसी अन्य अधिकारी या चयन समिति द्वारा जैसा कि मण्डल द्वारा अवधारित किया जाए उनका साक्षात्कार लेने के पश्चात् किया जायेगा।

परन्तु अभ्यार्थियों की लिखित या मुद्रलेखन योग्यताओं को सुनिश्चित करने के लिये साक्षात्कार से पूर्व लिखित परीक्षा भी ली जाएगी।

(4) "कल्याण आयुक्त के अधीन मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल में दैनिक वेतन भोगी (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) स्थायी कर्मी (उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल) एवं संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिन्होंने नियुक्ति दिनांक से निरंतर 10 वर्षो की संतोषजनक सेवा मण्डल में पूर्ण कर ली है, इनमें से मण्डल में वरिष्ठता के आधार पर सीधी भरती के विरूद्ध पद की अर्हता पूर्ण करने वाले कर्मचारी की उक्त पद अथवा समकक्ष पदों पर आरक्षण नियमों (रोस्टर) का पालन करते हुये रिक्त नियमित पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिये मण्डल द्वारा सक्षम समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति की अनुशंसानुसार प्रस्ताव संचालक मण्डल में प्रस्तुत किया जाएगा। संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात् मण्डल के अध्यक्ष की ओर से प्रशासकीय विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, जिसके पश्चात् कल्याण आयुक्त द्वारा नियमित नियुक्ति संबंधी आदेश प्रसारित किये जायेगें।"

11. **मण्डल की सेवाओं में आरक्षणः**– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये मण्डल की सेवा में आरक्षण मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) आरक्षण अधिनियम 1994 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियिमत किया जाएगा।

12. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति** :– (1) पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति हेतु अनुसूची–चार में वर्णित समिति द्वारा विचार किया जायेगा, जिसमें अनुसूवी–चार में वर्णित सदस्य होगें।

(2) सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम सेवा में वरिष्ठता कम में रखे जाएगें।

परन्तु यदि कोई कनिष्ठ व्यक्ति को, जो समिति की राय में असाधारण गुणुगण का है तथा उपयुक्त है उससे वरिष्ठ व्यक्तियों की तुलना में उच्चतर स्थान पर सूची में रखा जा सकेगा.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रकिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिकमित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के सम्बन्ध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगें।

(5) इस विनियम के अधीन तैयार सूची पर मण्डल का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

परन्तु यदि शासन द्वारा धारा 4 के तहत् मण्डल का गठन नहीं किया है, तो मण्डल अध्यक्ष सूची अनुमोदित करेंगें।

(6) मण्डल द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित की गई सूची पदों के विशिष्ट प्रवर्ग में सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी। यह सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका खण्ड (5) के अधीन पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्य के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में अध्यक्ष के निर्देश पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति यदि उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम सूची से हटा सकेगी।

(7) पदों के विशेष प्रवर्ग के चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की नियुक्ति उसी कम में की जावेगी, जिस कम से उनके नाम चयन सूची में हो।

परन्तु जहॉ प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ऐसा अपेक्षित हो, वहॉ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो, या जो चयन सूची में अगले कम में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा। यदि मण्डल का इस बात से समाधान हो जाए कि रिक्ति के तीन माह से अधिक समय तक रहने की संभावना नहीं है।

(8) पदोन्नति में आरक्षण उसी अनुरूप लागू होगा जैसाकि राज्य शासन अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को समय–समय पर यथा संशोधित लागू करें।

13. **कतिपय उपबन्धों का प्रारंभ** :– विनियम 1 के उपविनियम (2) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, विनियम 4 व 12 एवं उनके सभी उपबन्ध 12 अगस्त 1999 से लागू समझे जायेगें।

14. परिवीक्षाः–मण्डल की सेवा में सीधी भरती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

अनुसूची-एक
(देखिए विनियम-3 (1))

क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (सातवां वेतनमान)
1.	2.	3.	4.	5.
1	सहायक कल्याण आयुक्त	4	द्वितीय श्रेणी (वर्ग–दो) (राजपत्रित)	56100-177500 (लेवल-12)
2	लेखाधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी (वर्ग–दो)	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा से भरा जावेगा।
3	कल्याण अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	36200-114800 (लेवल-9)
4	जनसम्पर्क अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	36200-114800 (लेवल-9)
5	अभिदाय वसूली अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	36200-114800 (लेवल-9)
6	कार्यालय अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	36200-114800 (लेवल-9)
7	सहायक लेखाधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	36200-114800 (लेवल-9)
8	कल्याण पर्यवेक्षक	4	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	28700-91300 (लेवल-7)
9	कल्याण निरीक्षक	7	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	28700-91300 (लेवल-7)
10	मुख्य लिपिक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	28700-91300 (लेवल-7)
11	शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	28700-91300 (लेवल-7)
12	निज सचिव	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	28700-91300 (लेवल-7)
13	लेखापाल	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	25300-80500 (लेवल-6)
14	उच्च श्रेणी लिपिक	3	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	25300-80500 (लेवल-6)
15	निज सहायक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	19500-62000 (लेवल-4)
16	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	4	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	19500-62000 (लेवल-4)
17	कल्याण सहायक	11	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	19500-62000 (लेवल-4)
18	वाहन चालक/कम मैकेनिक	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	19500-62000 (लेवल-4)
19	भृत्य/कम चौकीदार	19	चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-तीन)	15500-49000 (लेवल-1)

अनुसूची-दो
(देखिए विनियम-4 (2))

क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वर्गीकरण	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
				सीधी भरती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	सहायक कल्याण आयुक्त	4	द्वितीय श्रेणी (वर्ग–दो)	25%	75%
2	लेखाधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी (वर्ग–दो)	शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा.	
3	जनसम्पर्क अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	-	100%
4	कल्याण अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	-	100%
5	अभिदाय वसूली अधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	-	100%
6	कार्यालय अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
7	सहायक लेखाधिकारी	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
8	कल्याण पर्यवेक्षक	4	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	40%	60%
9	कल्याण निरीक्षक	7	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	45%	55%
10	मुख्य लिपिक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
11	शीघ्रलेखक	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
12	निज सचिव	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
13	लेखापाल	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	50%	50%
14	उच्च श्रेणी लिपिक	3	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	-	100%
15	निज सहायक	1	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	100%	-
16	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	4	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	80%	20%
17	कल्याण सहायक	11	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	80%	20%
18	वाहन चालक/कम मैकेनिक	2	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	100%	-
19	भृत्य/कम चौकीदार	19	चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-तीन)	100%	-

अनुसूची-तीन
(देखिए विनियम-6 (7))

क्रं.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	सहायक कल्याण आयुक्त	द्वितीय श्रेणी (वर्ग–दो)	18	30	अर्हताऐं, जो राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (श्रम पदाधिकारी) के लिये तय की जाये।
2	कल्याण पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक की उपाधि/समाज शास्त्र विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी।
3	कल्याण निरीक्षक	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक की उपाधि।
4	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से शार्टहैण्ड परीक्षा (100 शब्द प्रति मिनिट) की गति से उत्तीर्ण। 3. अंग्रेजी शार्टहैण्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार को वरीयता।
5	लेखापाल	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालयसे बी.कॉम की उपाधि।
6	निज सहायक	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाईपिंग परीक्षा (30 शब्द प्रति मिनिट) की गति उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कम्प्यूटर का ज्ञान।
7	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाईपिंग परीक्षा (2530 शब्द प्रति मिनिट) की गति उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कम्प्यूटर का ज्ञान।
8	कल्याण सहायक	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण।
9	वाहन चालक/कम मैकेनिक	तृतीय श्रेणी (वर्ग-तीन)	18	30	1. 8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण। 2. लाईट मोटर व्हीकल चलाने का लाईसेंस।
10	भृत्य/कम चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी (वर्ग-चार)	18	30	8 वीं की परीक्षा उत्तीर्ण।

अनुसूची-चार
(देखिए विनियम-12 (1))

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल				
क्रं.	उस पद का नाम सिसे पदोन्नति किया जाना है.	पदोन्नति हेतु न्यनतम् अर्हकारी अवधि.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति किया जाना है.	पदोन्नति समिति के नाम
1.	2.	3.	4.	5.
1	कल्याण अधिकारी	5 वर्ष	सहायक कल्याण आयुक्त	1. अध्यक्ष, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य. 2. कल्याण आयुक्त-सदस्य/सचिव. 3. उप सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग-सदस्य. समिति में यदि अनु.जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व न होने पर शासन किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को नामांकित कर सकेगा।
2	जनसम्पर्क अधिकारी	5 वर्ष	सहायक कल्याण आयुक्त	
3	अभिदाय वसूली अधिकारी	5 वर्ष	सहायक कल्याण आयुक्त	
4	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	सहायक कल्याण आयुक्त	
5	सहायक लेखाधिकारी	–	–	
6	कल्याण पर्यवेक्षक	5 वर्ष	कल्याण अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/अभिदाय वसूली अधिकारी	
7	कल्याण निरीक्षक	5 वर्ष	कल्याण अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/अभिदाय वसूली अधिकारी	
8	निज सचिव	5 वर्ष	कल्याण अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी/अभिदाय वसूली अधिकारी	
9	मुख्य लिपिक	5 वर्ष	कार्यालय अधीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक/कल्याण निरीक्षक	
10	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	मुख्य लिपिक	
11	लेखापाल	5 वर्ष	सहायक लेखाधिकारी/मुख्य लिपिक	
12	उच्च श्रेणी लिपिक	5 वर्ष	कार्यालय अधीक्षक/कल्याण पर्यवेक्षक/कल्याण निरीक्षक	
13	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक	5 वर्ष	लेखापाल/ उच्च श्रेणी लिपिक	
14	कल्याण सहायक	5 वर्ष	कल्याण पर्यवेक्षक/कल्याण निरीक्षक	
15	निज सहायक	5 वर्ष	निज सचिव	
16	वाहन चालक	5 वर्ष	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक/कल्याण सहायक	
17	भृत्य/चौकीदार	5 वर्ष	कनिष्ठ श्रेणी लिपिक/कल्याण सहायक	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

कमांकः एफ 01(ए)02/2021/ए–16, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (कं. 36 सन् 1983) की धारा–33–क (दो) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल एतद् द्वारा राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

विनियम (भाग–दो)

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः–

1. इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विनियम, 2021 कहलायेंगें।

2. अन्यथा उपवन्धित स्थिति को छोड़कर ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिमाषाएं :–

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (कं. 36 सन् 1983)
(ख) "मण्डल" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत गठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल।
(ग) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र।
(घ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा।
(ड.) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है इन विनियमों से संलग्न अनुसूची ।

3. वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करनाः–

(1) मण्डल का सचिव, धारा 14 (क) में उपबंधित किये अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर मण्डल के पिछले वित्तीय वर्ष के कृत्यों तथा निधि के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा।
(2) इस प्रतिवेदन में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित विस्तृत विवरण समाविष्ट होंगे :–
(क) मण्डल का गठन,
(ख) प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोजित मण्डल की बैठक तथा किए गए कार्य,
(ग) मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति।
(घ) मण्डल द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों के कृत्यों के ब्यौरे।
(ड.) मण्डल द्वारा वर्ष के दौरान हाथ में लिये गये कार्य–कलापों के ब्यौरे।
(च) उन कामगारों तथा उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या जिन्होंने मण्डल द्वारा हाथ में लिये कार्य–कलापों में भाग लिया अथवा उनका लाभ उठाया।
(छ) अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना।

(ज) मण्डल की वित्त व्यवस्थाः–

(एक) धारा 9 के अधीन प्राप्त अंशदान की स्थिति,
(दो) अंशदान की वसूली के लिये किये गये प्रयास,
(तीन) मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1984 के नियम 3 के अधीन जुर्माने तथा असंदत्त संचयन के भुगतान की स्थित तथा नियम 4 के अधीन की गई कार्यवाही,
(चार) धारा 9 की उपधारा (8) के अधीन राज्य शासन से प्राप्त अंशदान,
(पांच) धारा 10 के अधीन की गई कार्यवाही।

(झ) मण्डल के कर्मचारी का प्रतिरूप उनमें हुये परिवर्तन, किये गये निरीक्षण आदि।
(ण) धारा 14 (ख) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर नियोजकों द्वारा हाथ में ली गई कल्याण गतिविधियों का सार।

(एक) वार्षिक प्रतिवेदन को अध्यक्ष के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया जाएगा और धारा(14)क की उपधारा (2) के अनुसार मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।
(दो) प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल की बैठक की कार्य–सूची के साथ मण्डल के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी।
(तीन) मण्डल द्वारा यथा अनुमोदित तथा सचिव द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य शासन को भेजी जायेगी।

4. **नियोजकों का प्रतिवेदनः–**

(1) प्रत्येक नियोजक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा हाथ में लिये गये कल्याणकारी कार्य–कलापों पर प्रतिवेदन कल्याण आयुक्त को भेजेगा। प्रतिवेदन में निम्नलिखित ब्यौरे सम्मिलित होगें:–

(क) कारखाना/स्थापना परिसरों के भीतर या बाहर उनके द्वारा हाथ में लिये गये संचालित की गई कल्याणकारी गतिविधियों का विवरण ।
(ख) उन कामगारों या उनके परिवार के सदस्यों की संख्या, जिन्होंने कार्यकलापों में भाग लिया अथवा उनका लाभ उठाया।
(ग) ऐसी सुविधाओं/गतिविधियों पर नियोजक द्वारा व्यय की गई अनुमानित रकम।
(घ) नियोजक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल प्रारूप–14 (ख) में कल्याण आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजी जाएगी।

5. **धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सेवा शर्तें:–**

(1) **कार्य क्षेत्र :–**

(एक) धारा 17 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों के कार्य दिवस तथा कार्य के घण्टे, वही रहेंगे जो राज्य शासन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिये नियत किए गए हैं और राज्य शासन द्वारा उनमें किया गया कोई परिवर्तन, मण्डल के कर्मचारियों पर स्वतः लागू होगा।

(दो) कल्याण आयुक्त, मण्डल कर्मचारियों की यथासमय उपस्थिति सुनिश्चित करने, अनुशासन बनाये रखने तथा मर्यादा का पालन करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) सेवा शर्तें :–

धारा–17 के अधीन नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तें निम्नानुसार होगी:–

(एक) अवकाश :–

मण्डल के कर्मचारियों को, निर्धारित मानदण्डों, निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार आकस्मिक अवकाश अन्य अवकाश जैसे अर्जित अवकाश, लघुकृत अवकाश, असाधारण अवकाश, परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को अवकाश, प्रसूति अवकाश तथा विशेष निर्योग्यता अवकाश, छुट्टियॉ पाने की पात्रता होगी। जैसा कि राज्य शासन समय–समय पर यथा संशोधित अपने कर्मचारियों को लागू करें।

(दो) चिकित्सा नियम :–

मण्डल के कर्मचारियों की चिकित्सा के प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा नियमावली) नियम, 1958 यथा संशोधित लागू होगें।

(तीन) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि :–

मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम, मण्डल कर्मचारियों को उसी रूप में यथा संशोधित परिवर्तनों सहित लागू होगें, जिस प्रकार राज्य शासन के अधिकारी/कर्मचारियों को देय होगें।

(चार) ऋण तथा अग्रिम :–

निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन कर्मचारी, त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, गृह निर्माण ऋण, साईकिल, दो पहिया वाहन अथवा हल्का मोटर वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्राप्त करने के हकदार होगें। ये अग्रिम तथा ऋण राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार स्वीकार्य तथा वसूली योग्य होगें।

परन्तु यह कि अध्यक्ष, निधियों की उपलब्धता तथा मण्डल की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, किसी विशिष्ट वर्ष के लिए ऐसे अग्रिम अथवा ऋण की मात्रा कम कर सकेगा।

(पॉच) उपादान (ग्रेज्युटी)

मण्डल कर्मचारियों को उपादान (ग्रेज्युटी) का लाभ उसी प्रकार देय होगा, जैसा कि राज्य शासन अपने कर्मचारियों को यथा संशोधित लागू करे।

(छः) सेवा की अन्य शर्तें :–

धारा 17 के अधीन नियुक्त कर्मचारी मध्यप्रदेश मूलभूत नियम तथा मध्यप्रदेश सामान्य पुस्तिका परिपत्र से शासित होंगे ।

(सात) सेवा निवृत्ति :–
मण्डल के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये बनाये गये नियम और विनियमों के अनुसार विनिर्धारित होगी।

(आठ) स्थानान्तरण :–
मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर घोषित "स्थानान्तरण नीति" का पालन करते हुये, कल्याण आयुक्त, अध्यक्ष के अनुमोदन से जब कभी मण्डल के समुचित प्रशासन के हित में उचित समझा जाये, किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक स्थान अथवा कार्यालय से दूसरे स्थान अथवा कार्यालय में कर सकेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों के सिवाय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण नहीं किये जायेगें।

6. **अभिलेखों को तैयार करना तथा उनका संधारण :**
(1) मण्डल के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली लिखी जाएगी। ये प्रतिवेदन सभी कर्मचारी द्वारा वर्ष में किये कार्यों का स्वमूल्यांकन विवरण निर्धारित प्रपत्र में 30 अप्रैल तक प्रतिवेदक अधिकारी को देगें।
(2) गोपनीय प्रतिवेदनों की प्रविष्टियां राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी श्रेणी बार निर्धारित किए गए प्रपत्रों के अनुसार ही निर्धारित प्रपत्रों में मण्डल कर्मचारी प्रस्तुत करेंगें।
(3) रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा प्रथम मत दिनांक 15 मई तक और द्वितीय मत दिनांक 15 जून तक अभिलिखित किया जायेगा। प्रतिकूल टिप्पणी यदि कोई हो, सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को तीन माह के भीतर संसूचित की जायेगी।
(4) गोपनीय प्रतिवेदन लिखने, प्रतिकूल प्रविष्टि/टिप्पणी संसूचित करने, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण अथवा अपील गोपनीय प्रतिवेदनों के बनाये रखने तथा अन्य सुसंगत बातों के सम्बन्ध में जहॉ तक संभव तथा साध्य हो, में मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशों का अनुसरण किया जायेगा।
(5) कल्याण आयुक्त मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम 1984 के नियम 11 के उप–नियम (2) में उल्लेखित प्रकिया तथा अभिलेखों को बनाये रखना सुनिश्चित करेगा।

7. **कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही :–**
मण्डल के कर्मचारियों पर नियंत्रण तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 30 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

8. **धारा 19 के अधीन जॉच कार्यवाही :–**
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 के नियम 31 के अनुसार मण्डल के कर्मचारियों की धारा 19 के अधीन अनुज्ञात की जॉच, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट अधिकारों द्वारा मध्यप्रदेश, सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

9. **कतिपय उपबन्धों का प्रारंभ :–**
विनियम 1 के उपविनियम (2) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, विनियम 5 उप नियम (2) के एक से छः में दिये गये उपबन्ध 14 नवम्बर 1987 से लागू समझे जायेगें।

नियोजक द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन

(देखिये धारा 14–ख तथा विनियम कं.–4)

वित्तीय वर्ष –.....

1.	स्थापना का नाम	:	.....
2.	कारखाना प्रबन्धक का नाम	:	.....
3.	स्थापना एवं निर्मित वस्तु का स्वरूप।	:	.....
4.	उपस्थिति पंजी में कर्मचारिया की संख्या ।	:	.....
5.	हाथ में लिये गये अथवा व्यवस्था किए गए कल्याणकारी कार्यकलापों का विस्तृत विवरण ।	:	.....
6.	ऐसे कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने कमांक 5 के अन्तर्गत कार्यकलापों में भाग लिया अथवा लाभ उठाया।	:	.....
7.	स्थापना परिसर के बाहर हाथ में लिए गए अथवा व्यवस्था किये गये कल्याणकारी कार्यकलापों का विस्तृत विवरण।	:	.....
8.	ऐसे कर्मचारियों/उनके परिवारों के सदस्यों की संख्या जिन्होंने स.कं.–7 के अन्तर्गत कार्यकलापों में भाग लिया अथवा लाभ उठाया।	:	.....
9.	स.कं.–5 तथा 7 के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यकलापों पर व्यय की गई लगभग राशि।	:	.....
10.	कोई अन्य संगत सूचना जिसका उल्लेख करना महत्वपूर्ण हो।	:	.....

स्थान : .....

दिनांक : .....

कारखाना प्रबन्धक

अनुसूची– एक
(देखिये विनियम 6 (2))

सारणी

अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग जिनके लिये गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाना है।	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी/ स्वीकारकर्ता अधिकारी का मतांकन	अधिकारी जो अभियुक्ति की संसूचना देगा।
1.	2.	3.	4.	5.
कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
अपर कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
लेखा अधिकारी	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
कल्याण अधिकारी	सहा.क.आ.	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
जनसम्पर्क अधिकारी	सहा.क.आ.	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
अभिदाय वसूली अधिकारी	सहा.क.आ.	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
सहायक लेखा अधिकारी	सहा.क.आ.	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
कार्यालय अधीक्षक	सहा.क.आ.	कल्याण आयुक्त	अध्यक्ष	कल्याण आयुक्त
(क) कल्याण निरीक्षक	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
(क) कल्याण पर्यवेक्षक	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
शीघ्रलेखक	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
मुख्य लिपिक (सहायक ग्रेड–1)	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
निज सचिव, मान. अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष
लेखापाल	सहा.क.आ./ लेखा अधिकारी	सहा.क.आ./ लेखा अधिकारी	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
उच्च श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–2)	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
निम्न श्रेणी लिपिक (सहायक ग्रेड–3)	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
निज सहायक, कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
कल्याण सहायक	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
वाहन चालक	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त
भृत्य/चौकीदार	सहा.क.आ.	सहायक कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त	कल्याण आयुक्त

टीप :–1. प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी के रूप में जहॉ सहायक कल्याण आयुक्त हैं वहॉ वरिष्ठ सहायक कल्याण आयुक्त प्रतिवेदन देगें।

1. यदि कोई आशुलिपिक निज सहायक या निज सचिव, अध्यक्ष या कल्याण आयुक्त से सम्बद्ध किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति स्वीकारकर्ता के रूप में भी कार्य करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2021

क्र. एफ 01-04-2021-तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभियुक्तियां
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
संस्कृति विभाग	कीपर	02	50ब	50ब	-	-।''।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार पाठक, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.